कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.04.2025

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह मे पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 9,000/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-290/2018 धारा 354,504,506 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लोढ़ु उर्फ सुनील कुमार पटेल पुत्र हनुमान पटेल निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-25.04.2025 को माननीय न्यायालय वि0 न्या0 पॉक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त लोढ़ु उर्फ सुनील कुमार पटेल उपरोक्त को अंतर्गत धारा 354 भा0द0वि0 मे 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 मे 06 माह के कठोर कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 506 भा0द0वि0 मे 06 माह के कठोर कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।